EDITORIAL

BSNL EMPLOYEES IN A DILEMMA

Bharat Sanchar Nigam Limited is a public enterprise fully owned by the Central Government. This enterprise is not a public enterprise from the time of its birth, but it has been formed by converting two branches of the Department of Telecommunications, controlled by the Ministry of Communications of the Government of India, namely, Telecommunication Operations and Telecommunication Services, into a corporation from 1st October 2000. With the conversion of the aforesaid two government departments into a corporation, about three lakh employees working in these departments were in a state of extreme confusion as to what steps they should take. But before the formation of the corporation, the decision approved by the Council of Ministers of the Government of India included -

1. After the formation of the corporation, full guarantee of retirement benefits and pension payments from the accumulated funds of the Central Government in accordance with the employees of the Government of India.

2. Guarantee of keeping the newly converted corporation financially strong.

3. Full guarantee of jobs for the employees working in the Telecommunication Corporation who will join the corporation by giving an option.

Along with issuing the Presidential order for these three guarantees, the Government of India also issued a directive that whatever assets and liabilities are in the working area of BSNL at the time of formation of the corporation, will be transferred to the ownership of BSNL.

All the employees peacefully joined the corporation by giving option in view of the above-mentioned promises of the Government of India. In a very smooth manner, more than 3 lakh employees and lower level officers joined the corporation through option. In the year 2004-05, the corporation set a record by earning a net profit of 10500/ (ten thousand five hundred crore rupees). It was given the status of a Mini Ratna company. This company was about to be included in the Navratna companies, when the conspiratorial step-motherly attitude of the government started and gradually action was started against all the government promises, due to which the company gradually became financially weak and by the year 2008-09, it started being known as a sick company. By that time BSNL had an accumulated amount of Rs. 40000/- (Forty thousand crore rupees) in its bank account. This was the time when the government was allocating 3G spectrum through competitive auction. BSNL management also requested the government to allow participate in that auction but it was not allowed to participate. After the auction was over, the amount of Rs. 18500/- (eighteen thousand five hundred crore rupees) were recovered from BSNL by forcefully allocating 3G spectrum to BSNL in all circles on a national scale at the highest rate quoted in the auction.

Similarly, the government seized the entire amount from BSNL through other means. After this action, when BSNL needed money to run it, to provide new facilities and to develop new technology, there was no option left except taking a loan from the bank. By the year 2017-18, BSNL reached the verge of becoming completely bankrupt. By this period, the company had a debt of about Rs. 30000/- (thirty thousand crore rupees), the interest of which started consuming a significant portion of the money earned by BSNL. The situation became dire, due to this situation, the intellectuals of India and the media started discussing the poor condition of BSNL.

It was continuously being said by the management and the government that 60% of the revenue earned by BSNL is spent on employees. These employees have become a burden for BSNL. This lie was continuously propagated and meanwhile the employees kept protesting and exposing the internal situation of the company and kept pressurizing the government.

Ultimately, the government killed two birds with one stone with the company and the employees. On one hand, the people of the country were told that on 21st October 2019, the Council of Ministers of the Government of India has allocated Rs. 70000/ (seventy thousand crore rupees)

for the restructuring of BSNL, but the truth is that with that money, 78649 employees of BSNL were intimidated and thrown out of the company in the name of voluntary retirement. Despite such a large number of employees leaving, there was no improvement in the financial condition of the company and it became rare for the employees to get their salaries on time. After the employees re-started their agitation in October 2021, the employees started getting their salaries on time from January 2022. Thus, it was seen that the government propagated in a horrific manner against its promises made to the employees of its own country and tore apart the promise of job security given to them. The second promise of the government was to keep the company financially strong, which is clear from the above context that this promise also vanished with time. The third promise of the government, which was to give pension to the employees absorbed in BSNL from the accumulated funds of the government, is going on, but the retired employees of BSNL are forced to get pension on the status of pay scale of 01.01.2007. After the implementation of the regular Central Government's Seventh Pay Commission, the pension revision of BSNL employees should have been done from 01.01.2017, but more than three lakh retired employees of the company from all over the country were forced to knock on the doors of the court after wandering from door to door. Despite the Central Administrative Tribunal's Principal Bench Delhi passing an order in favour of pension revision of employees, the government instead of finding a solution has dragged the retired employees to the higher court, which is totally condemnable.

Recently, the Hon'ble Communications Minister has given this message in reply to a letter from an Hon'ble MP that pension revision of retired employees will be done only when the salary revision of working employees will be done from 01.01.2017. But he has also said that since BSNL company is continuously running in loss, salary revision of BSNL employees is not possible in view of the guidelines of the Department of Public Enterprises of the Government of India.

Overall, the government has completely reneged on the promises made to the employees under the Presidential Order at the time of converting the Department of Telecommunications into a corporation.

As far as the assets/properties falling under the purview of BSNL were to be transferred to BSNL on a national scale, this Presidential Order has also been flouted. The Department of Telecommunications and **BSNL management are continuously moving forward with great speed to sell BSNL's assets. In this regard, Shri E.A.S. Sharma, former Secretary, Government of India, has written a letter to Shri T. V. Somanathan, Cabinet Secretary, saying that selling the land of BSNL and MTNL is against Article 3(F)(4) of the Indian Constitution. In which it has been clarified that the state government provides land for any government-controlled public undertaking** and the central government cannot sell it in an unreasonable manner.

Amidst all these circumstances, a plan is being made again secretly to give voluntary retirement to the employees. This is being publicized. In this regard, all the organizations of executive and non-executive employees under BSNL have united and given a memorandum to the Chairman and Managing Director of BSNL Board in protest against this move. Along with this, they have completely opposed this process. Amidst all the above situations, BSNL employees are going through a phase of confusion and dilemma. On one hand, a strict procedure has been adopted for employees to mark their attendance and to mark their attendance again after the work period is over. On the other hand, by keeping the employees away from work, their mental and physical capacity is being weakened. Right now, the BSNL management has issued a letter demanding a report on the educational qualification and work history of all the employees. It is being said that a field training program will be arranged for the employees and they will be given more technical training and put in appropriate work. If the management has a relative mindset, then we, the people of the workers' organization, welcome it. Along with this, we want a solution to many long pending issues like salary revision, promotion, ending of wage blockage etc. which come under the purview of human resources of the employees.

संपादकीय

बी.एस.एन.एल. कर्मचारी – असमंजस में

भारत संचार निगम लिमिटेड केंद्र सरकार के पूर्णतः स्वामित्व में चलने वाली लोक उपक्रम है। यह उपक्रम अपने जन्म काल से लोक उपक्रम नहीं है, अपितु यह भारत सरकार के संचार मंत्रालय द्वारा नियंत्रित दूरसंचार विभाग की दो शाखाएं दूरसंचार संचालन एवं दूरसंचार सेवाएं को 1 अक्टूबर 2000 से निगम में परिवर्तित करके बनाया गया है। पूर्वोक्त दो सरकारी विभागों को निगम में परिवर्तन के साथ ही इन विभागों में कार्यरत लगभग तीन लाख कर्मचारी अत्यंत असमंजस की स्थिति में थे कि उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए। परंतु निगम बनने के पूर्व भारत सरकार के मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदित फैसला जिसमें:–

1. निगम बनने के उपरांत भारत सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप केंद्र सरकार के संचित कोष से सेवानिवृत्ति लाभ एवं पेंशन भुगतान की पूर्ण गारंटी।

2. नव–परिवर्तित निगम को आर्थिक रूप से सशक्त बनाए रखने की गारंटी।

3. दूरसंचार निगम में कार्यरत कर्मचारी जो विकल्प देकर निगम में समाहित होंगे उनके नौकरी की पूर्ण गारंटी।

इस तीन गारंटी के लिए राष्ट्रपति आदेश जारी करने के साथ ही भारत सरकार की ओर से यह भी जारी किया गया कि निगम बनने के वक्त बीएसएनएल के कार्य क्षेत्र में जो भी संपदा है तथा जो भी देनदारी है, उसे बीएसएनएल के स्वामित्व में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

सभी कर्मचारी भारत सरकार के उपर्युक्त वादों को देखते हुए शांतिपूर्ण ढंग से विकल्प देकर निगम में समाहित हो गए। बड़े ही सुगम तरीके से 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी तथा निचले स्तर के अधिकारी विकल्प के द्वारा निगम में समाहित हुए। वर्ष 2004–05 में निगम ने 10500/ (दस हजार पांच सौ करोड रुपए) की शुद्ध मुनाफा अर्जित कर एक कीर्तिमान की स्थापना की। इसे मिनी रत्ना कंपनी का दर्जा दिया गया। यह कंपनी नवरत्ना कंपनियों में शामिल होने वाली थी, तब तक सरकार की षड्यंत्रकारी सौतेलापन की शुरुआत हुई और शनैः शनैः समस्त सरकारी वादो के खिलाफ कार्यवाही शुरू हुई, जिससे धीरे–धीरे कंपनी आर्थिक रूप से कमजोर होते–होते वर्ष 2008–09 तक बीमार कंपनी के रूप में चर्चित होने लगी। उस समय तक बीएसएनएल के बैंक खाते में 40000/ (चालीस हजार करोड रुपए) की संचित राशि थी। यह समय था जब सरकार 3जी स्पेक्ट्रम का आवंटन प्रतिस्पर्धा नीलामी के द्वारा कर रही थी। बीएसएल प्रबंधन भी उस नीलामी में शामिल होने के लिए सरकार से निवेदन किया परंतु उसे शामिल नहीं होने दिया गया। नीलामी समाप्ति के बाद नीलामी में आए उच्चतम दर पर बीएसएनल को संपूर्ण राष्ट्रीय पैमाने पर सभी परिमंडल में 3जी स्पेक्ट्रम जबरन आवंटित करते हुए बीएसएनल से 18500/ (अठारह हजार पांच सौ करोड रुपए) की राशि कठोरता पूर्वक वसूल की गई। इसी प्रकार अन्य तरीकों से बीएसएनएल द्वारा समस्त राशि को सरकार ने हस्तगत कर लिया। इस कार्रवाई के उपरांत बीएसएनल को चलाने के लिए, नई सुविधा प्रदान के लिए तथा नई तकनीकी का विकास करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ने पर बैंक से कर्ज लेने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं बचा। वर्ष 2017–18 तक बीएसएनएल पूर्णतः दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया। इस अवधि तक कंपनी के ऊपर लगभग 30000/(तीस हजार करोड़ रुपए) का कर्ज हो गया, जिसके सूद में ही बीएसएनएल द्वारा कमाए गए रकम की अच्छी खासी हिस्सा जाने लगी। स्थिति भयावह हो गया। इस स्थिति के लिए भारत के प्रबुद्ध लोग तथा मीडिया में बीएसएनएल के खस्ता हाल की चर्चा होने लगी। प्रबंधन तथा सरकार की ओर से यह लगातार कहा जाने लगा कि बीएसएनएल द्वारा कमाए गए राजस्व का 60% हिस्सा कर्मचारियों पर खर्च हो जाता है। यह कर्मचारी बीएसएनएल के लिए बोझ बन गए हैं। यह झूठ लगातार प्रचारित की गई और इस बीच कर्मचारियों ने कंपनी के आंतरिक स्थिति को उजागर करते हुए लगातार आंदोलन किया तथा सरकार पर दबाव बनाते रहे। अंततः सरकार ने कंपनी एवं कर्मचारियों के साथ एक तीर से दो शिकार किया। एक तरफ देश की जनता को बताया गया की 21 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार के मंत्री परिषद ने बीएसएनएल के पुनर्गठन के लिए 70000/ (सत्तर हजार करोड रुपए) आवंटित किए हैं, परंतु सच्चाई यह है कि उन रूपयों से बीएसएनल के 78649 बड़े छोटे कर्मचारियों को भयाग्रसित करते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के

नाम पर कंपनी से बाहर कर दिया गया। इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों के बाहर चले जाने के बावजूद कंपनी की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाई और कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलना भी दुर्लभ हो गया। कर्मचारियों द्वारा अक्टूबर 2021 में पुनः सशक्त आंदोलन करने के बाद जनवरी 2022 से कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया जाने लगा। इस प्रकार यह देखा गया कि सरकार ने अपने ही देश के कर्मचारियों के साथ अपने किए गए वादों के खिलाफ भयावह तरीके से प्रचारित किया एवं उनके लिए दी गई नौकरी के सुरक्षा के वचन को तार–तार कर दिया।

सरकार का दूसरा वादा कंपनी को आर्थिक रूप से सशक्त रखने की थी जो उपर्युक्त प्रसंग से स्पष्ट होता है कि यह वादा भी समय के साथ विलीन हो गया। सरकार का तीसरा वादा जो बीएसएनल में समाहित कर्मचारियों को सरकार के संचित कोष से पेंशन देने की थी, वह चल रही है परंतु बीएसएनल से सेवानिवृत्त कर्मचारी 01.01.2017 के वेतनमान की स्थिति पर पेंशन पाने पर मजबूर हैं। नियमित केंद्र सरकार के सातवें वेतन आयोग के लागू होने के उपरांत बीएसएनएल कर्मचारियों का पेंशन पुनरीक्षण 01.01.2017 से होना चाहिए था परंतु संपूर्ण राष्ट्र के तीन लाख से अधिक कंपनी की सेवानिवृत्त कर्मचारी दर–दर की ठोकर खाते हुए न्यायालय के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए मजबूर किए गए। केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के प्रधान बेंच दिल्ली द्वारा कर्मचारियों के पेंशन पुनरीक्षण के पक्ष में आदेश निर्गत करने के बावजूद सरकार ने कोई रास्ता निकालने के बजाय सेवानिवृत कर्मचारियों को ऊपरी अदालत में घसीटने का कार्य किया जो सर्वथा निंदनीय है।

अभी हाल में माननीय संचार मंत्री ने एक माननीय सांसद के पत्र के उत्तर में यह संदेश दिया है कि सेवानिवृत कर्मचारियों का पेंशन पुनरीक्षण तभी होगा जब कार्यरत कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण 01.01.2017 से होगा। परंतु उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि चुकी बीएसएनएल कंपनी लगातार घाटे में चल रही है इसलिए भारत सरकार के लोक उपक्रम विभाग के दिशा निर्देशों के मद्देनजर बीएसएनएल के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण संभव नहीं है।

कुल मिलाकर देखा जाए तो दूरसंचार विभाग को निगम में परिवर्तित करने के समय कर्मचारियों के साथ राष्ट्रपति आदेश के तहत जो कर्मचारियों से वादा किया गया था, उससे सरकार पूर्णतः मुकर चुकी है।

जहां तक बीएसएनएल के कार्य क्षेत्र में आने वाले संपदा/परिसंपदा को पूर्ण राष्ट्रीय पैमाने पर बीएसएनल को स्थानांतरित किया जाना था, इस राष्ट्रपति आदेश की भी धज्जियां उड़ा दी गई है। दूरसंचार विभाग एवं बीएसएनएल प्रबंधन लगातार बीएसएनएल की परिसंपत्तियों को बेचने की प्रक्रिया बड़े तेजी से आगे बढ़ा रही है। इस संबंध में श्री ई ए एस शर्मा, पूर्व सचिव भारत सरकार ने श्री टी.वी.सोमनाथन, कैबिनेट सचिव को पत्र लिखते हुए यह कहा है कि बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के जमीन को बेचना भारतीय संविधान की 3(एफ) (4) के विरुद्ध है। जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार नियंत्रित किसी भी लोक उपक्रम के लिए भूमि राज्य सरकार उपलब्ध कराती है और उन्हें केंद्र सरकार गैर वाजिब तरीके से बेच नहीं सकती है।

तमाम परिस्थितियों के बीच अभी पुनः गुप्त रूप से कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने की योजना बनाई जा रही है।

ऐसा प्रचारित किया जा रहा है। इस संबंध में बीएसएनएल के अंतर्गत एक्जीक्यूटिव एवं नॉन–एक्जीक्यूटिव कर्मचारियों के सभी संगठनों ने एकजुट होकर इसके विरोध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बीएसएनल बोर्ड को एक स्मार पत्र दिया है। साथ ही इस प्रक्रिया का पूर्णतः विरोध किया है।

उपर्युक्त समस्त स्थितियों के बीच बीएसएनएल के कर्मचारी दिग्भ्रमित एवं असमंजस के दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ कर्मचारियों को उपस्थिति दर्ज करने एवं कार्य अवधि समाप्त होने पर पुनः उपस्थिति देने की कठोर प्रक्रिया अपनाई गई है। वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों को कार्य से अलग रखकर उनके मानसिक एवं शारीरिक क्षमता को शिथिल किया जा रहा है। अभी बीएसएल प्रबंधन ने एक पत्र जारी कर समस्त कर्मचारियों का शैक्षिक योग्यता एवं उनका कार्यवृत्त संबंधी रिपोर्ट की मांग की है। कहा जा रहा है कि कर्मचारियों के लिए फील्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें अधिक तकनीक प्रशिक्षण देकर उचित कार्य में लगाया जाएगा। अगर प्रबंधन की सापेक्ष मानसिकता है तो हम श्रमिक संगठन के लोग इसका स्वागत करते हैं। साथ ही कर्मचारियों के मानव संसाधन के दायरे में आने वाले वेतन पुनरीक्षण, पदोन्नति, वेतन अवरुद्धता की समाप्ति आदि अनेक चिरलंबित मामलों का समाधान चाहते हैं।